

झारखंड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

आदेश

संख्यांक 6/सा-245/02 3108

दिनांक: 17.12.04

झारखंड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन एवं नियंत्रण प्रकरण अधिनियम 2002 को विभागीय अधिसूचना सं. सा-245/02 दिनांक 19.11.02 द्वारा प्रकाशित है, की धारा 13(2)(ड) एवं झारखंड राज्य माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुसूची के तहत एवं तन्मयेक विभागावली 2004 को विभागीय अधिसूचना सं. सा-2692 दिनांक 1.12.04 द्वारा प्रकाशित है की धारा 3, 4, 5 एवं 7 के आलोक में प्रत्येक तहसील स्तरवर्ती विद्यालयों रतनपुर, टुण्डी, धनबाद की सरकार ने विभागीय कार्यों के साथ स्वतः धारक विद्यालय के साथ में अराजकीय अनुसूची प्रदान की है।

1. नियंत्रित योजनावली/स्थाप/विकास का झारखंड योजनावली सचिवद्वारा एक के अधीन निर्गत विबंधन प्रमाण पत्र (एक) के अन्दर उनके वास्तविक के साथ तय्यार करना होगा।

2. विद्यालय के संचालन नियमावली एवं वैधानिक न्याय के विद्वान्त तथा प्रचलित कानून पर आधारित विद्यालय के सुव्यवस्था के लिए शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन आर्थी के प्रावधानों के आलोक में वेतन आर्थी विभागावली तैयार कर विभाग के अनुसूच-नार्थ (एक) महीने में तय्यार करना होगा। जो कि विद्यालय का आर्थी विभागावली विभागावली नहीं तय्यार है, तब तक राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानक वेतन आर्थी विभागावली का अनुपालन करना होगा।

3. एक भूमि के विबंधन/सीज का प्रमाण पत्र (एक) के अन्दर तय्यार करना होगा।

4. एक भूमि का प्राथमिक आरिज का प्रमाण पत्र (एक) के अन्दर तय्यार करना होगा।

5. एक भूमि का अन्तर्गत नक्शा रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र (एक) के अन्दर तय्यार करना होगा।

6. विद्यालय में 450 वर्गमीटर के 12 एकड़ जमीन (एक) का 5 प्रधा माध्यमिक कक्षा-1 पुस्तकालय कक्षा-1 शिक्षक कक्षा-1 कम्प्यूटर कक्षा-1 (एक) 25x30=750 वर्ग मीटर का भी विद्यालय कक्षा का विवरण (एक) के अन्दर तय्यार करना आवश्यक होगा।

- के भीतर प्रतिष्ठित कराने का दायित्व विद्यालय प्रबंध समिति का होगा।
7. विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/अध्यापकों का वेतन पुस्तान निवृत्तता तैक के कास्ट पेज के माध्यम से पत्र निर्गत तिथि के एक माह के भीतर करना होगा।
8. विद्यालय के प्रबंध समिति के सदस्य एवं प्रधानाध्यापक के नाम में 50000/- रुपये का बैंक खाते का बतौर धन का गणनापत्र बैंक में जमा किया जाएगा।
9. विद्यालय में न्यूनतम 30 हजार रुपये के नाम, विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक के नाम के 750 पुस्तकों की उपलब्धता। एक वर्ष में अन्तर सुनिश्चित करनी होगी।
10. विद्यालय में 3 अलग मॉडल के कंप्यूटर प्रिंटर के साथ उसे चलाने हेतु जेनरेटर की व्यवस्था एक वर्ष में करनी होगी।
11. विद्यालय के प्रबंधन द्वारा राज्य सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रयोगशाला में उपकरण/सामान की व्यवस्था 6 महीने में सुनिश्चित करनी होगी।
12. सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 10,000/- रु के वैधानिक धन की व्यवस्था दो महीने के अन्तर करनी होगी।
13. शिक्षा विभाग के प्राधिकृत निरीक्षी प्रमुख निरीक्षी, वैधानिक प्रदाधिकारी, अथवा तत्सम विभाग के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्यदिक्ता में विद्यालय का निरीक्षण किया जा होगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक निरीक्षण कार्य में सहयोग करेंगे एवं निम्नानुसार दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
14. राज्य सरकार जो यह अधिकार होगा कि विद्यालय को प्रमुख मापदण्ड सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय को समय-समय पर भ्रमण करेगा। विद्यालय प्रबंधन उन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
15. किसी भी परिस्थिति में स्थापना अनुमति का किसी प्रकार का संबंध राजकीय वित्तीय सहायता के नहीं होगा और न ही विद्यालय द्वारा की स्वीकृति के आधार पर किसी प्रकार का दावा किया जाएगा।
16. यदि राज्य सरकार कृषि के लिए किसी विद्यालय को स्थापना अधिकारियों के अनुसार नहीं हो रहा है तो राज्य सरकार अधिलेखना जारी कर उस विद्यालय की स्थापना अनुमति प्रदान करेगी, परन्तु यह कि स्थापना अनुमति प्रदान देने के पूर्व विद्यालय को अपना गत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

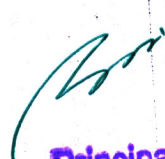
क्रमांक... 3108...../

राँची, दिनांक 17.12.04

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तरी गोटा नगर प्रखण्ड,
छत्तारोबाग/ जिला शिक्षा तदाधिकारी, धनबाद/ सचिव, झारखंड अधिकाधिकारिण
राँची/ उप निदेशिका -सह विद्यालय निरीक्षिका, झारखंड, राँची/ जिला विद्यालय
निरीक्षिका, धनबाद/संबंधित विद्यालय के सचिव/प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आदेश-
नामक कार्यालय प्रेषित।

क्रमांक... 3108.../ राँची दिनांक 17.12.04

प्रतिलिपि- माननीय सीबी, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, राँची
के आप्त सचिव/आधुक्त एवं सचिव के अधिन, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड,
राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


Principal
Swaroop Saraswati Vidya Mandir
Ratanpur, Tundi, Dhanbad


Manager
Swaroop Saraswati Vidya Mandir
Ratanpur, Tundi, Dhanbad

(4)

झारखंड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

सं० : 6/च1-11/2004- /

रांची / दिनांक : 20 मार्च, 2008

झारखंड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 2002 (विभागिय अधिसूचना संख्या-4402 दिनांक-14.11.2002) एवं उसके अधीन निर्मित झारखंड राज्य माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति (एन एन एन) नियमावली, 2004 (विभागीय अधिसूचना संख्या-2892 दिनांक-11.12.2004) की धारा-3, 4, 5 एवं 7(i) और (ii) के अंतर्गत निम्नांकित सारणी में अंकित प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयों, जिन्हें उनके नाम के सामने अंकित आदेश से यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कतिपय शर्तों के साथ अस्थायी स्थापना अनुमति प्रदान की गई थी, परंतु उन्होंने सभी शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया है। जो शेष सभी शर्तों को पूरा करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए पूर्व-प्रदत्त अस्थायी स्थापना अनुमति को आगे विस्तार शैक्षणिक सत्र 2008-09 तक के लिए करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

अनुसार नीचे दी गयी सारणी में अंकित प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयों को पूर्व-प्रदत्त अस्थायी स्थापना अनुमति का अवधि विस्तार शैक्षणिक सत्र 2008-09 तक के लिए किया जाता है। संबंधित विद्यालय उक्त विस्तारित अवधि की समाप्ति के पूर्व स्थापना अनुमति हेतु विहित सभी शर्तों को पूरा कर लेगा और तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन झारखंड अधिविद्य परिषद् को भेजेगा एवं परिषद् उसकी सम्यक् जाँचकर नियमित स्थापना अनुमति हेतु प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ निदेशालय को भेजेगा।

क्र०	विद्यालय का नाम	पूर्व-प्रदान की गयी शर्तों अस्थायी स्थापना अनुमति का विवरण	
		आदेशांक / दिनांक	अवधि
i	ii	iii	iv
1	मानव विकास उच्च विद्यालय गढ़वा	473 / 16.03.2005	दो वर्ष
2	राजीव गान्धी स्मृति उच्च विद्यालय जमशेदपुर	420 / 09.03.2005	दो वर्ष
3	विभागीय स्थापना प्रमाण-दस्तावेज अनुमति	408 / 07.03.2005	दो वर्ष
4	अराजकीय उच्च विद्यालय, जमशेदपुर, जमशेदपुर, साहबपुरा	3116 / 17.12.2004	दो वर्ष
5	राजीव गान्धी स्मृति उच्च विद्यालय, न्यू इण्डिया, माराहावाडी रांची	3064 / 17.12.2004	दो वर्ष
6	मानव संसाधन विकास उच्च विद्यालय, जमशेदपुर, दुमका	2240 / 22.08.2005	दो वर्ष
7	मानव संसाधन विकास उच्च विद्यालय, जमशेदपुर, जलमू	3102 / 17.12.2004	दो वर्ष
8	मानव विद्यालय, जमशेदपुर, गुमना	486 / 16.03.2005	दो वर्ष
9	मानव संसाधन विकास उच्च विद्यालय, मनोहरपुर, 40 दिहाय	791 / 15.04.2005	दो वर्ष

Page 1 of 3

Principal
Swaroop Saraswati Vidya Mandir
Ratanpur, Tundi, Dhanbad

Manager
Swaroop Saraswati Vidya Mandir
Ratanpur, Tundi, Dhanbad

क्र०	विद्यालय का नाम	आदेश सं०/ दिनांक	अवधि
i	ii	iii	iv
10	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बहरागोडा, पूर्वी सिंहभूम	2410 / 21.09.2004	06.08.05 तक
11	बिरसा उच्च विद्यालय, जोजोहास, अड़ली, रांची	669 / 01.04.2005	दो वर्ष
12	कन्या उच्च विद्यालय, बगोदर, गिरिडीह	3090 / 17.12.2004	दो वर्ष
13	श्रीमती नर्मदा देवी बालिका उच्च विद्यालय, डाकुरगंटी, गोडडा	2650 / 09.11.2005	एक वर्ष
14	महेश्वरी बालिका उच्च विद्यालय, अशोकनगर रांची	3106 / 17.12.2004	दो वर्ष
15	बालिका उच्च विद्यालय, बादम, हजारीबाग	3082 / 17.12.2004	दो वर्ष
16	बिरसा उच्च विद्यालय, गरमा, माझ, हजारीबाग	3100 / 17.12.2004	दो वर्ष
17	उच्च विद्यालय, गुन्ड, हजारीबाग	3103 / 17.12.2004	दो वर्ष
18	इंदिरा गाँधी उच्च विद्यालय, फुफडी, देगावत प्रखण्ड-गिरिडीह	3097 / 17.12.2004	दो वर्ष
19	सरस्वती विद्या मंदिर, बीजूपाडा रांची	411 / 07.03.2005	दो वर्ष
20	सत जेवियर्स उच्च विद्यालय, गुन्ड, रांची	588 / 23.03.2005	दो वर्ष
21	सत जेवियर्स उच्च विद्यालय, चाईबासा	3111 / 17.12.2004	दो वर्ष
22	सेमाया मेमोरियल उच्च विद्यालय, संकोसाय, मानगो, जमशेदपुर	3123 / 17.12.2004	दो वर्ष
23	सत रोबर्ट बालिका उच्च विद्यालय, हजारीबाग	3120 / 17.12.2004	दो वर्ष
24	चन्द्रगोहन महतो उच्च विद्यालय, बेंद, चापुलिया, पूर्वी सिंहभूम	766 / 09.04.2005	दो वर्ष
25	उच्च विद्यालय, सतावनी, अनगडा, रांची	3085 / 17.12.2004	दो वर्ष
26	उच्च विद्यालय, गोपीबाघ, सारठ, देवघर	3098 / 17.12.2004	दो वर्ष
27	पद्मावती सरस्वती शिशु मंदिर, आनन्दपुर, चाईबासा	2242 / 22.08.2005	एक वर्ष
28	उच्च विद्यालय, तारानारी, बोकारो	3118 / 17.12.2004	एक वर्ष
29	उच्च विद्यालय, बदडीहा, जमुआ, गिरिडीह	3001 / 11.12.2004	दो वर्ष
30	बालिका उच्च विद्यालय, हाराडीहा, गिरिडीह	3065 / 17.12.2004	दो वर्ष
31	संत जोहान उच्च विद्यालय, डकैता, तलमटिया, गोडडा	3105 / 17.12.2004	दो वर्ष
32	रणविजय स्मारक उच्च विद्यालय, रानीपोखर बोकारो	1118 / 04.05.2005	दो वर्ष
33	इंदिरा गाँधी उच्च विद्यालय, मानिकगढ़, गिरिडीह	3089 / 17.12.2004	दो वर्ष
34	ज्ञानोदय उच्च विद्यालय, टिकुलिया, सोनपुर, पलामू	1117 / 04.05.2005	दो वर्ष
35	बालिका उच्च विद्यालय, बरहमागढ़, हजारीबाग	3101 / 17.12.2004	दो वर्ष
36	उच्च विद्यालय, करज, बरमा, मुमता	3056 / 17.12.2004	दो वर्ष
37	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, पतहपुर, जमशेदपुर	412 / 07.03.2005	दो वर्ष
38	एली योमिली बालिका उच्च विद्यालय, पतहपुर, गोडडा	469 / 16.03.2005	दो वर्ष
39	सत जोसेफ उच्च विद्यालय, विश्रामपुर, रांची, महाराष्ट्र	3117 / 17.12.2004	दो वर्ष
40	जयान्ती देवी उच्च विद्यालय, जयवाही, पूर्वी सिंहभूम	467 / 15.03.2005	दो वर्ष
41	स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर, रतनपुर, गुन्ड, धनबाद	3108 / 17.12.2004	दो वर्ष

Page 2 of 3
Sent 2/1/05

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	आदेश सं०/ दिनांक	अवधि
i	ii	iii	iv
42.	मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय, आसनतालिया, चक्रधरपुर, प० सिंहभूम	3089/17.12.2004	दो वर्ष
43.	जगृति उच्च विद्यालय, खोखरा पहाड़ी, धनबाद	1211/10.05.2005	दो वर्ष
44.	उच्च विद्यालय, सिंगुलिया-चन्दनकियारी, बोकारो	779/13.04.2005	दो वर्ष
45.	लक्ष्मी देवी सराफ बालिका उच्च विद्यालय, जसीडीह, देवघर	3122/17.12.2004	एक वर्ष
46.	विरसा उच्च विद्यालय, हथियागोन्दा काँके राँची	2864/27.11.2004	एक वर्ष
47.	सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय, सरायकंठा	778/13.04.2005	दो वर्ष
48.	ज्ञानोदय उच्च विद्यालय, गौधीनगर, काँके राँची	3067/17.12.2004	दो वर्ष
49.	गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च विद्यालय, आदित्यपुर, सरायकंठा-सरसादा	1111/02.05.2005	दो वर्ष
50.	नोरमाजु बालिका उच्च विद्यालय, डारण्डा, राँची	1421/30.05.2005	दो वर्ष
51.	श्री हरि गौड हरी उच्च विद्यालय, पुरकिया, मनोहरपुर, प० सिंहभूम	712/06.04.2005	दो वर्ष
52.	संत अन्ना नर्स हाई स्कूल, करपनिया, बोकारो	3110/17.12.2004	दो वर्ष
53.	शहीद निमल महतो उच्च विद्यालय, पांडावना, प० सिंहभूम	1565/06.06.2005	दो वर्ष
54.	अशरी फाजल उच्च विद्यालय, कांटाग, गुमला	3109/17.12.2004	एक वर्ष
55.	नेहरू बालिका उच्च विद्यालय, भूलीनगर, धनबाद	1060/26.04.2005	एक वर्ष

[Signature]
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राँची।

आपाक 6/41-11/2004- 872 /

राँची/ दिनांक : 20 मार्च, 2008

प्रतिलिखित सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सचिव, झारखंड अधिविद्य परिषद, राँची/सभी जिला शिक्षा प्रमुख/संयोजित विद्यालयों के सचिव/संयोजित सभी सचिका को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।

[Signature]
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राँची।

[Signature]
Principal
Swaroop Saraswati Vidya Mandir
Ratanpur, Tundi, Dhanbad

[Signature]
Manager
Swaroop Saraswati Vidya Mandir